Eligibility For:

B.Ed. (ODL)-

इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है :–

1. परम्परागत प्रणाली (Face to Face Mode) से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने विज्ञान/सामाज विज्ञान/मानविकी/कृषि/वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इंजीनियरिंग/तकनीकी जिसमे विज्ञान एंव गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होगे।

List of NCTE Recognized Courses

D.E.C.Ed., DPSE, D.EL.Ed. / B.T.C., B.EL.Ed., B.Ed., M.Ed., D.P.Ed., B.P.Ed., M.P.Ed., D.Ed., Diploma in Arts Education (Visual Arts7), Diploma in Arts Education (Performing Arts), B.A. B.Ed. /B.Sc. B.Ed. 4 Years Integrated programme, B.Ed. M.Ed. 3 year's. Integrated programme and any other NCTE recognized face to face mode Teacher"s Training Course.

अथवा

उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारम्भिक/प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होने विज्ञान/सामाज विज्ञान/मानविकी/ कृषि/वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इंजीनियरिंग/तकनीकी जिसमे विज्ञान एंव गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होगे।

एवं

2. बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इण्टरमीडिएट स्तर पर लिये हों– हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य।

नोट –

1. *प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE)** द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परम्परागत प्रणाली **(Face to Face Mode)** से पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है।*
2. *अर्हता प्रवेश परामर्श की तिथि को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंकपत्र/प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर प्रस्तुत करना होगा।*
3. *उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एंव अन्य विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही उ0प्र0 शासन के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण एवं छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेशोंके EWS/पिछड़ावर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी के (**Open Category**) अन्तर्गत दिया जायेगा।*
4. *कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।*